



OCI कार्ड योजना का वसितार

[स्रोत: लाइव मटि](#)

हाल ही में भारत सूरीनाम के नियमों में ढील देने के बाद फ़ज़िी और अन्य देशों में प्रवासी भारतीयों को [ओवरसीज़ सटिज़िनशिप ऑफ़ इंडिया \(OCI\)](#) कार्ड के वशिषाधकार देने पर वचार कर रहा है।

- 2023 में भारत ने सूरीनाम में मूल भारतीय प्रवासयिों के OCI कार्ड के लयि पात्रता मानदंड को चौथी पीढ़ी से छठी पीढ़ी तक बढ़ाने की घोषणा की।





ओवरसीज़ सटिज़िनशपि ऑफ़ इंडिया (OCI) कार्ड क्या है?

■ परचय:

- OCI की अवधारणा वशिषकर वकिसति देशों में भारतीय प्रवासियों द्वारा दोहरी नागरिकता की मांग के जवाब में लायी गई थी।
- गृह मंत्रालय OCI को एक ऐसे व्यक्तिके रूप में परिभाषित करता है, जो:
 - वह व्यक्तिके 26 जनवरी, 1950 को अथवा उसके बाद भारत का नागरिक था
 - वह व्यक्तिके 26 जनवरी, 1950 को भारत का नागरिक बनने के योग्य था
 - वह ऐसे व्यक्तिके संतान एवं नाती है और अन्य सभी मानदंडों को पूरा करता है।
 - OCI कार्ड नयिमों की **धारा 7A** के अनुसार, एक आवेदक OCI कार्ड हेतु पात्र नहीं होगा यदि वह, उसके माता-पिता या दादा-दादी कभी पाकिस्तान या बांग्लादेश के नागरिक रहे हों। यह श्रेणी वर्ष 2005 में प्रस्तुत की गई थी।
- नागरिकता (संशोधन) अधिनियम, 2015 के माध्यम से भारत सरकार द्वारा वर्ष 2015 में OCI श्रेणी का वलिय भारतीय प्रवासी समुदाय (PIO) की श्रेणी के साथ कर दिया गया था।

■ ऐतिहासिक पृष्ठभूमि:

- OCI कार्ड योजना 2005 में प्रवासी भारतीय दिवस के दौरान लॉन्च की गई थी।
- इसे अपने मूल देश के प्रतप्रवासी भारतीयों के लगातार **भावनात्मक लगाव** की स्वीकृति के रूप में पेश किया गया था।

■ सीमाएँ और प्रतबंध:

- उन्हें वोट देने का अधिकार नहीं है।
- वे संवैधानिक पद या सरकारी के अधीन कोई लाभ का पद नहीं रख सकते।

- वे कृषिभूमि नहीं खरीद सकते।
- **OCI कार्ड एवं नागरिक अधिकार:**
 - OCI कार्ड राजनीतिक अधिकार प्रदान नहीं करता है।
 - धारक चुनाव में भाग नहीं ले सकते या सार्वजनिक पद धारण नहीं कर सकते, जो नागरिकता और विदेशी नागरिकता के बीच स्पष्ट सीमाएँ बनाए रखने पर सरकार के रुख को दर्शाता है।
- **OCI कार्ड के लाभ:**
 - भारत आने के लिये एकाधिक प्रवेश, बहुउद्देश्यीय आजीवन वीजा मलिना।
 - उनके प्रवास की अवधि की परवाह किये बिना, विदेशी क्षेत्रीय पंजीकरण कार्यालय (FRRO) के साथ पंजीकरण करने से छूट।
 - वित्तीय, आर्थिक और शैक्षिक क्षेत्रों में [अनविासी भारतीयों \(NRI\)](#) के साथ समानता।
- **वर्तमान परिदृश्य:**
 - OCI कार्ड योजना भारत सरकार के अपने [प्रवासी](#) भारतीयों के साथ संबंधों को बेहतर करने का एक प्रमुख प्रयास रहा है।
 - मार्च 2020 तक, गृह मंत्रालय ने 35 लाख से अधिक OCI कार्ड जारी किये थे। [विदेश मंत्रालय \(MEA\)](#) के अनुसार, वर्ष 2022 की शुरुआत तक यह संख्या 4 मिलियन से अधिक हो गई थी।
 - इनमें से अधिकांश संयुक्त राज्य अमेरिका, यूनाइटेड किंगडम, ऑस्ट्रेलिया तथा कनाडा में **विदेशी नागरिकों को जारी किये गए** थे।
 - OCI कार्ड योजना के विस्तार पर ध्यान देना, दुनिया भर में अपने विदेशी भारतीय समुदायों के साथ जुड़ने और उनका समर्थन करने के भारत के प्रयासों को उजागर करता है।

भारतीय मूल का व्यक्ति(PIO):

- **PIO एक विदेशी नागरिक को संदर्भित करता है** (पाकिस्तान, अफगानिस्तान बांग्लादेश, चीन, ईरान, भूटान, श्रीलंका और नेपाल के नागरिकों को छोड़कर) जो:
 - किसी भी समय भारतीय पासपोर्ट धारण किया हो अथवा
 - जो या उसके माता-पिता/दादा-दादी/परदादा में से कोई एक भारत सरकार अधिनियम, 1935 में परिभाषित के अनुसार भारत में जन्मा था और स्थायी रूप से निवासी था तथा अन्य क्षेत्रों में जो उसके बाद भारत का हिस्सा बन गए अथवा
 - भारत के नागरिक या PIO का जीवनसाथी है।

UPSC सविलि सेवा परीक्षा, वगित वर्ष के प्रश्न

?????????:

प्रश्न. भारत के संदर्भ मे नमिनलिखित कथनों पर विचार कीजिये: (2021)

1. भारत में केवल एक ही नागरिकता और एक ही अधवास है।
2. जो व्यक्तिजन्म से नागरिक हो, केवल वही राष्ट्रध्वक्ष बन सकता है
3. जिस विदेशी को एक बार नागरिकता दे दी गई है, किसी भी परिस्थिति में उसे इससे वंचित नहीं किया जा सकता।

उपर्युक्त कथनों में से कौन-सा/कौन-से सही है/हैं?

- (a) केवल 1
- (b) केवल 2
- (c) 1 और 3
- (d) 2 और 3

उत्तर: (a)